मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक : 23/17/स0अ0उ0/चार (भ0) नियंत्रण)/मा0अनु0/17 दिनांक : 04/3/2017

मै0 इन्प्रास्पर इन्फ्रास्ट्रक्चर एल.एल.पी.
श्री सजल गर्ग पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार गर्ग,
निवासी–सी–64, सैक्टर–44,
नौएडा।

आपके पत्र दिनांक 20.08.2016 मानचित्र सं0 671/16 के संदर्भ में आपके प्रस्तावित समाजवादी आवास योजना मानचित्र को मौहल्ला/कालोनी/ग्राम–अब्दुल्लापुर, मेरठ भूखण्ड/भवन/खसरा सं0–419, 420, 421, 422, 423, 424, 425 व 426, 426/1 पर निम्नलिखित शर्तो के साथ अनुमति प्रदान की जाती है। स्वीकृत मानचित्र संलग्न है। उपरोक्त स्वीकृति उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा–15 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक से केवल पांच वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्र की सवीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा अन्य किसी व्यक्ति के स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही होगा।
3. जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा। विपरीत प्रयोग उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–26 के आधीन दण्डनीय है।
4. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा–35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य में उपयुक्त नही होगा वहां प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय की विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नही होगी।
6. स्वीकृत मानचित्र का सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि मौके पर कभी भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार कराया जायेगा।
7. आप भवन उप–नियमों के नियम–21 में अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देगें।
8. निर्माण की अवधि में यदि स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है तो उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही परिवर्तन किया जायेगा।
9. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर उप–नियमों में निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करेगें।
10. प्राधिकरण के अध्यासन (औकूपैन्सी) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अध्यासित (ओकूयपायी) करेगें।
11. उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन करने पर या कोई तथ्य छुपाकर मानचित्र स्वीकृत करने पर निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण सुरक्षित रखता है।
12. मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में योजित अप्लीकेशन संख्या–21/2014 वर्धमान कौशिक एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 10.11.2016 का अक्षरशः अनुपालन करना होगा।

इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघन उ0प्र0 नगर नियोजन एव विकास अधिनियम की धारा–26 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।

संलग्नक :– स्वीकृत मानचित्र की प्रति।

प्रतिलिपि :– अवर अभियन्ता प्रवर्तन जोन–डी को प्रेषित।

मुख्य नगर नियोजक,
मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।